रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102024-257990
CG-DL-E-17102024-257990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4184] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 2024/आश्विन 24, 1946
No. 4184] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ASVINA 24, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,16 अक्तूबर, 2024

का. आ. 4548(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पोचारम वन्यजीव अभयारण्य, तेलांगना के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1669(अ), तारीख 26 मई, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1669(अ), तारीख 26 मई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1669(अ), तारीख 26 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

क.	जिला कलेक्टर, निज़ामाबाद	अध्यक्ष, पदेन;
ख.	जिला कलेक्टर, मेडक का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
ग.	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि को तीन वर्ष की अवधि के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
घ.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को तीन वर्ष की अवधि के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
ङ.	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
च.	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक या मुख्य शहरी नियोजक या नगर नियोजक	सदस्य, पदेन;
छ.	प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक), मेडक	सदस्य, पदेन;
ज.	प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक), निज़ामबाद	सदस्य, पदेन;
झ.	सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
ञ.	प्रभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबंधन, मेडक और जिला वन्यजीव वार्डन मेडक	सदस्य सचिव, पदेन।

6. **मानीटरी समिति के कार्य:-** (1) मानीटरी समिति, स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सरिणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय समाविष्ट हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के लिए यथास्थिति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पास निर्दिष्ट किए गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में इसके पैरा 4 की सारणी में विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, समाविष्ट नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, की छानबीन मानीटरी समिति द्वारा स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के

लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट रूपविधान में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं. 25/60/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1699 (अ), तारीख 26 मई, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October,2024

S.O**. 4548(E).**— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Pocharam Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1699 (E), dated the 26th May 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1699 (E), dated the 26th May 2017;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1699 (E), dated the 26th May 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) For paragraph 5 and 6 , the following paragraphs shall be substituted, namely:-

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(a)	District Collector, Nizamabad	Chairman, ex officio
(b)	One representative of District Collector, Medak	Member, ex officio;
(c)	One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana for a period of three years	Member
(d)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Telangana for a period of three years.	Member
(e)	Regional Officer, State Pollution Control Board	Member, ex officio;
(f)	Senior Town Planner of the area or Chief Urban Planner or City Planner	Member, ex officio;
(g)	Divisional Forest Officer (Territorial), Medak	Member, ex officio;
(h)	Divisional Forest Officer (Territorial), Nizambad	Member, ex officio;
(i)	Member, State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(j)	Divisional Forest Officer, Wildlife management, Medak and District Wildlife Warden Medak	Member, ex-officio Secretary.;

6. **Functions of the Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case-to-case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in pro-forma specified in **Annexure-IV**.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the

Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/60/2014-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.-- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1699(E), dated the 26th May 2017.

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.17 15:46:29 +05'30'